

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15 (5) 2023 / गोप्र / प्रमुखसं-08055 /

दिनांक :

**-:: कार्यालय आदेश ::-**

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 15 (5) 2023 / गोप्र / प्रमुखसं / 08055 / 7475-7585 / सी दिनांक 25.08.2023 एवं एफ 15 (6) 2020 / गोप्र / प्रमुखसं / 7097-7100 / सी दिनांक 14.08.2023 द्वारा निम्नांकित निजी सहायक ग्रेड-II को निजी सहायक ग्रेड-I के पद पर चयन किया जाकर पदोन्नत किया गया था। उक्त लोक सेवकों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर निजी सहायक ग्रेड-I के पद पर किए जाने क निम्नानुसार आदेश प्रचलित किए जाते हैं:-

| क्र. स. | नाम लोक सेवक (सर्व श्री) | पिता का नाम (सर्व श्री) | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय                               | नवीन पदस्थापन कार्यालय                                  |
|---------|--------------------------|-------------------------|---|---|
| 1.      | जसवन्त बशीर              | पृथ्वीराज बशीर          | मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर                               | मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर                               |
| 2.      | महेश कुमार शर्मा         | चुन्नलाल                | प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर | प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर |

उपरोक्त निजी सहायक ग्रेड-I को नवपदस्थापित स्थान पर दिनांक 29.02.2024 तक कार्यग्रहण करना आवश्यक होगा, कार्यग्रहण अवधि में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी। सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष इनको अविलम्ब कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्त / कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष पदोन्नत कार्मिक को कार्यमुक्त करने / कार्यग्रहण कराने से पूर्व सुनिश्चित करें कि कार्मिक निलम्बित / सेवानिवृत्त नहीं हो तथा पदस्थापन स्थान पर पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्मिक को अग्रिम आदेशों की प्रतिकक्षा में इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। जो कार्मिक (पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले) पदोन्नति का परित्याग करना चाहते हैं, संबंधित नियन्त्रण अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष उनसे लिखित में पदोन्नति परित्याग का प्रार्थना पत्र प्राप्त करें। प्रार्थना-पत्र प्राप्त ना होने की स्थिति में दिनांक 29.02.2024 तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले कार्मिकों का स्वतः ही पदोन्नति से परित्याग मानते हुए परित्याग का इन्द्राज कार्मिक की सेवापुस्तिका में लाल स्याही से अंकित करते हुए इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से दिनांक 05.03.2024 तक ई-मेल [dcfinz.estt.forest@rajasthan.gov.in](mailto:dcfinz.estt.forest@rajasthan.gov.in) पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

६०

(मुनीश कुमार गर्ग)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 20.02.2024

क्रमांक : एफ 15 (5) 2023 / गोप्र / प्रमुखसं-08055 / 2180-2186/सी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर।
2. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन किये जाने हेतु।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा संबंधित कार्यालयाध्यक्ष।
5. रक्षित पत्रावली / कार्मिक स्ट्रेन्थ कार्यालय हाजा।

ml

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)

राजस्थान, जयपुर